

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:-97/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00403)

1. श्रीमती धापू पत्नी स्व. श्री नाथू लाल, जाति खाती, निवासी बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नी श्री लल्लू प्रसाद पुत्री श्री नाथूलाल, जाति जांगिड़ निवासी प्लाट नम्बर 145, अमर नगर-सी खिरनी फाटक, खातीपुरा, जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमती राधा पत्नी स्व. श्री दामोदर पुत्री श्री नाथूलाल, जाति जांगिड़, निवासी मुण्डिया रामसर, इन्दिरा आवास कॉलोनी, तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मदन लाल पुत्री श्री नाथू लाल जाति जांगिड़, निवासी केस्यावाला, खातियों की ढाणी, पोस्ट धानक्या, तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
4. सरकार जरिये उप तहसीलदार बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील सख्या:-98/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00124)

1. श्रीमती धापू पत्नी स्व. श्री नाथू लाल, जाति खाती, निवासी बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. भंवरी देवी पत्नी श्री लल्लू प्रसाद पुत्री श्री नाथूलाल, जाति जांगिड़ निवासी प्लाट नम्बर 145, अमर नगर-सी खिरनी फाटक, खातीपुरा, जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमती राधा पत्नी स्व. श्री दामोदर पुत्री श्री नाथूलाल, जाति जांगिड़, निवासी मुण्डिया रामसर, इन्दिरा आवास कॉलोनी, तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मदन लाल पुत्री श्री नाथू लाल जाति जांगिड़, निवासी केस्यावाला, खातियों की ढाणी, पोस्ट धानक्या, तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
4. सरकार जरिये उप तहसीलदार बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 02.04.2019

अपील सख्या:-97/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00403)

(2)

अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 2671 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2677 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2678 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 4653 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 4659 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 4680 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 4683 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 4684 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.08 हैक्टर वाके ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित अपीलान्त के पति स्व. श्री नाथूलाल पुत्र श्री जगन्नाथ कौम खाती का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज व चला आ रहा है, उक्त आराजीयात का पर्चा खतौनी वरवक्त सैटलमेन्ट सम्वत् 2011 से 2015 में बतौर कब्जे काशत होने के कारण अपीलान्त के पति नाथू के नाम से जारी हुआ इस प्रकार उक्त प्रश्नागत आराजीयात अपीलान्त के पति स्व. नाथूलाल की स्व-अर्जित है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त के पति स्व. श्री नाथूलाल पुत्र जगन्नाथ ने अपपनी स्वअर्जित उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपने जीवनकाल में एक वसीयत 10/- रुपये के स्टाम्प पर अपनी धर्मपत्नी हाल अपीलान्त के हक में दिनांक 07.01.2003 को निष्पादित की गयी, उक्त वसीयत दो सक्षम गवाहान की उपस्थिति में निष्पादित की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्त के पति की मृत्यु दिनांक 14.08.2016 को हो गई, अपीलान्त के पति की मृत्यु के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम एक प्रार्थना पत्र उक्त प्रश्नागत वसीयत के आधार पर अपीलान्त अपने पक्ष में उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खोलने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर हाल रेस्पोंडेन्टान को नोटिस जारी किया तथा बयानात कर दिनांक 19.02.2018 को विधि विरुद्ध अपना निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं सक्ष्यों पर बगैर मनन किये तथ्य व साक्ष्य के तथा कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो काबिले निरस्त योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त ने प्रश्नागत आराजीयात के सम्बन्ध में अपने पति के द्वारा छोड़ी गई स्वअर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्नाधीन वसीयत प्रस्तुत की तथा वसीयत के आधार पर दो सक्षम साक्षी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परीक्षण हेतु उपस्थित हुऐ इस प्रकार प्रश्नाधीन वसीयत के तथ्यात्मक एवं साक्ष्यात्मक जांच करने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है, जो काबिले निरस्त योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नाधीन वसीयत के दोनों गवाहान के बयान का परीक्षण व जांच करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की प्रकृति पर संदेह कर न्यायिक सिद्धान्तों के बाहर जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त योग्य है।

(3)

है, इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलान्त के पति द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपीलान्त के पक्ष में पूर्व में ही वसीयत निष्पादित की गई है, इस प्रकार उक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज कर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की कारित की जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसीयत रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड होने का कोई कानूनन महत्व नहीं है, वसीयत में उल्लेखित गवाह द्वारा अपने बयानों द्वारा वसीयत के निष्पादन के सम्बन्ध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत की गई, इस प्रकार अपीलान्त के पक्ष में निष्पादित वसीयत को भली भांति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित की जा चुकी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है, जो काबिले निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्त की दोनों अपीले स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 2457 पर पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 3 भी वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. श्री नाथूलाल की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा अपीलान्त द्वारा स्व. नाथूलाल की तथाकथित कूटरचित वसीयत दिनांक 07.01.2003 के आधार पर विवादग्रस्त कृषि भूमि खातेदारी का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु आवेदन किया गया था जिसमें रेस्पोजेन्ट द्वारा यह कथन कहे गये थे कि स्व. नाथूलाल की तथाकथित कूटरचित वसीयत फर्जी व कूटरचित है तथा अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयत दिनांक 07.01.2013 को सही नहीं मानकर रेस्पोजेन्ट के पक्ष में भी नाथूलाल के वारिस मानकर नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किये जावे जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2457 दिनांक 22.02.2018 तस्दीक किया जा चुका है, जो कानूनन उचित है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की गई है।


अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को उक्त कूटरचित वसीयत की जानकारी होने पर उनके द्वारा उक्त कूटरचित तथाकथित वसीयत दिनांक 07.01.2003 को निरस्त करवाने बाबत न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 26, जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष भंवरीदेवी बनाम धापू देवी के नाम से दावा प्रस्तुत कर दिया जो वर्तमान में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. नाथूलाल की विरासत का नामान्तरकरण उसके सभी प्रथम रेणी के वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई कानूनी गलती नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी


(4)

व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है किन्तु दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित करने का कोई भी साक्ष्य, सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं थे और वसीयत के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवेचन करने का अधिकार भी सक्षम न्यायालय को नहीं है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत पर संदेह प्रकृत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2018 पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की दोनों अपीले स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 2457 पर पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।


(के०सी०वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।